

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 321/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- दौलाराम पुत्र नानकराम 2- पदमाराम पुत्र नानकराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम खबाणियां तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1- ग्राम पंचायत किंजरी तहसील ओसियां जरिये सरपंच 2- कुम्भाराम पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी ग्राम खबाणियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 13-6-2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा
राजस्व अपील संख्या 15/2013 अनवान दौलाराम बनाम ग्राम पंचायत वगैरा मे
पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री चेतन राम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2 की ओर से ।
- 3- शेष रेस्पोंड बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22-3-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खबाणियां की सरहद
मे खसरा नंबर 112 रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 64 रकबा 6 बीघा,
खसरा नंबर 82 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 83 रकबा 1 बीघा 01
बिस्वा, खसरा नंबर 84 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 81 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा
भूमि मूलाराम पुत्र. भोमाराम जाति जाट के खातेदारी की थी । उक्त खातेदारी की
भूमि मे से खसरा नंबर 112 की 57 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 81 की 2 बीघा
09 बिस्वा, खसरा नंबर 82 की 12 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 83 की 1 बीघा 05
बिस्वा तथा खसरा नंबर 84 की 1 बीघा कुल 5 खसरान की 74 बीघा 13 बिस्वा
भूमि का रजिस्टर्ड बेचान रेस्पोंड संख्या 2 को करने पर बेचान के आधार पर
म्युटेशन संख्या 96 दिनांक 19-1-79 को सरपंच ग्राम पंचायत किंजरी द्वारा
स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन के विरुद्ध अपीलांटगण ने प्रथम अपील
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश
की, जो रेकर्ड तलबी एवं रेस्पोंड की तामिल मे चल रही थी परंतु अधीनस्थ
न्यायालय ने उक्त अपील को बिना अपीलांट को सूचित किये या उनके अधिवक्ता
को नोटिस दिये बिना न्याय आपके द्वार अभियान मे रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय
ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को मयाद
बाहर मानकर खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस
न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना ही अपील का निस्तारण करने मे विधिक भूल की है । नियमानुसार अपील दर्ज करने के बाद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की बहस सुने बिना अपील का मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपरोक्त तमाम नामांतरकरणो की अलग-अलग अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनमे रेकर्ड तलबी एवं रेस्पो0 की तामिल मे पत्रावलियां चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये ही कोर्ट की पत्रावलियो को न्याय आपके द्वार अभियान केम्प अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे दिनांक 13-6-2016 को ले जाकर उसी दिन अपील के बिना गुणावगुण पर विचार किये केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियानो मे केवल उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमे पक्षकारो की सहमति हो, परंतु वर्तमान प्रकरण मे गंभीर विवाद है जिसका निस्तारण लोक अदालत केम्प मे बिना पक्षकारो की सुनवाई के नहीं किया जाना था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो उत्तराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया था तो खातेदार भोमाराम के देहांत के समय उसके मूलाराम, नानकराम एवं विरमाराम नामक तीन लडके मौजूद थे तो एक लडके के नाम म्युटेशन भरा जाकर स्वीकृत किया जो प्रथमदृष्टिया अवैद्य एवं शून्य होने से उसके पश्चातवर्ती सभी नामांतरकरण निरस्त योग्य है तथा ऐसे प्रभाव शून्य आदेशो के विरुद्ध मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खातेदार मूलाराम को उपरोक्त अपीलाधीन भूमि मे से अपने 1/3 हिस्से का ही बेचान करने का अधिकार था, उससे अधिक का किया गया बेचान प्रारंभ से ही शून्य था इसलिए बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 96 निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 96 को निरस्त कर मृतक खातेदार भोमाराम के सभी विधिक उत्तराधिकारियो के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्प0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि गाम पंचायत किंजरी द्वारा नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 29-8-65 को स्वीकार किया था । उक्त नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद अर्जुनराम वगैरा ने मूलाराम के विरुद्ध सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें वर्तमान अपीलांत पदमाराम पक्षकार था तथा उक्त वाद के निर्णय की पालना में म्युटेशन संख्या 39 स्वीकृत हुआ था अर्थात् उक्त अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी अपीलांतगण को प्रारंभ से ही थी तथा उक्त म्युटेशन स्वीकृत होने के पश्चात अपीलाधीन भूमि में से कुछ भाग का रजिस्टर्ड बेचान रेस्प0 संख्या 2 कुम्भाराम को कर दिया जिसके आधार पर उक्त म्युटेशन संख्या 96 वर्ष 1979 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत कथन करते हुए 1979 में स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरुद्ध वर्ष 2013 में लगभग 35 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 96 स्वीकृति दिनांक 19-1-79 तथा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्प0 संख्या 2 कुम्भाराम की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 96 जो कि वर्ष 1979 में बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था उसके विरुद्ध लगभग 35 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय में म्युटेशन अपील वर्ष 2013 में स्व0 खातेदार भोमाराम के अन्य पुत्र नानकराम के पुत्रों ने की थी जिसमें विलंब का कोई ठोस कारण प्रकट नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है ।

प्रस्तुत अपील में अपीलांत अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली को केम्प कोर्ट में ले जाने बाबत कोई सूचना रिकॉर्ड पर नहीं है, फिर भी पत्रावली में पक्षकारों को सुने बिना ही मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 35 वर्षों के विलंब से अपील पेश होने से तथा विलंब को क्षमा करने बाबत कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी लंबी अवधि तक अपीलांत द्वारा कोई चाराजोही नहीं करना न्याय की दृष्टि से क्षम्य योग्य नहीं होना मानकर नियत तिथि पर पत्रावली को लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र किंजरी में ले जाकर अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है, जिसमें हम

किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

अपील के गुणावगुण पर भी देखा जाये तो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 96 जो कि रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है इसलिए जब तक रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित बेचान के दस्तावेजात को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक इतने लंबे अंतराल के बाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राजात को म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही में किसी प्रकार का इन्द्राज परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपीलांत पदमाराम ने खातेदारी घोषणा का एक नियमित वाद भी उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसका अनवान पदमाराम बनाम हनुमानराम वगैरा है, जो विचाराधीन है, तो अपीलांत के हक अधिकारों का निर्धारण तो उक्त विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से ही होना है । म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारों का निर्धारण संभव नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांतगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2016 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22-3-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर